खण्ड-3

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2021-2022 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

फरवरी, 2021

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2021-2022 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय–व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय–व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष **2021-2022** के आय–व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

	(₹ लाख में)
क– राजस्व लेखा	**626869.07**
ख– पूंजी लेखा	**2132970.89**
कुल योग :	**2759839.96**

वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	(₹ लाख में) पूँजी लेखे का व्यय पूँजीगत	ऋण	योग
1	2	3	4	5	6
002	आवास विभाग	2000.00	17000.00	...	19000.00
003	उघोग विभाग (लघु उघोग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	20000.00	...	...	20000.00
007	उघोग विभाग (भारी एवं मध्यम उघोग)	18562.00	500000.00	...	518562.00
009	ऊर्जा विभाग	200000.00	171547.45	...	371547.45
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास)	1162.50	...	...	1162.50
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	10700.00	500.00	...	11200.00
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	20000.00	...	...	20000.00
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	700.00	...	...	700.00
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	151.88	...	...	151.88
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1000.00	...	...	1000.00
021	खाघ तथा रसद विभाग	514.40	...	...	514.40
022	खेल विभाग	855.00	3961.19	...	4816.19
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उघोग)	...	...	63537.00	63537.00
026	गृह विभाग (पुलिस)	12465.00	32943.00	...	45408.00
029	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	50.00	...	...	50.00
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	200.00	29202.02	...	29402.02
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	...	149748.00	...	149748.00
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	17000.00	73554.00	...	90554.00
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2384.72	15876.61	...	18261.33
037	नगर विकास विभाग	204000.00	...	...	204000.00
040	नियोजन विभाग	...	310000.00	...	310000.00
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	11482.17	...	...	11482.17
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	...	455.01	...	455.01
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	...	3200.00	...	3200.00
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	...	35000.00	...	35000.00
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	...	70911.00	...	70911.00
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	...	246200.00	...	246200.00

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	(₹ लाख में) पूँजी लेखे का व्यय		योग
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	60000.00	...	60000.00	120000.00
068	विधान सभा सचिवालय	...	1570.09	...	1570.09
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	137.00	...	...	137.00
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	23004.00	5507.00	...	28511.00
074	गृह विभाग (होमगार्डस)	2500.00	...	...	2500.00
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	11450.00	...	...	11450.00
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	2000.00	...	...	2000.00
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	...	700.00	...	700.00
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2000.00	...	...	2000.00
082	सतर्कता विभाग	...	30.10	...	30.10
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	...	65089.00	...	65089.00
084	सामान्य प्रशासन विभाग	200.00	30000.00	...	30200.00
092	संस्कृति विभाग	1565.00	1200.00	...	2765.00
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	5.00	15.00	...	20.00
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	780.40	245224.42	...	246004.82
	कुलयोग	626869.07	2009433.89	123537.00	2759839.96

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
002	2217-शहरी विकास	1-अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु ग्लोबल कन्सल्टेन्ट का चयन तथा डी.पी.आर. का गठन	2000.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	2000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2-अयोध्या का सर्वांगीण विकास	10000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3-अयोध्या स्थित "सूर्य कुण्ड" का विकास	2000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	5000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	17000.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	19000.00
003	2851-ग्राम तथा लघु उघोग	1-उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की निष्प्रयोज्य कताई मिलों की भूमि का उपयोग	10000.00
	2851-ग्राम तथा लघु उघोग	2-मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उघमिता विकास योजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	20000.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	20000.00
007	2852-उघोग	1-इन्वेस्ट - यू.पी. को अनुदान	1000.00
	2852-उघोग	2-ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल	200.00
	2852-उघोग	3-उ.प्र.डाटा सेन्टर नीति, 2020 का क्रियान्वयन	500.00
	2852-उघोग	4-उ.प्र. स्टार्ट-अप नीति, 2020 का कार्यान्वयन	500.00
	2852-उघोग	5-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)	16362.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	18562.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु भूमि का क्रय	500000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	500000.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	518562.00
009	2801-बिजली	1-ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान	200000.00
		लेखा शीर्ष 2801 का योग	200000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-2 x 210 मेगावाट पारीछा विघुत परियोजना में ई.एस.पी. रेट्रोफिटिंग एवं परामर्शी सेवा के लिये	2224.45

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अंशपूंजी	
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-2 x 660 मेगावाट मेज़ा विद्युत परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन	10220.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-अनपरा 'द' तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के रिवाईवल हेतु अंशपूंजी	5000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-एस.जी.एस.टी. की डिस्कॉम्स को प्रतिपूर्ति	150000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-कम्प्यूटरीकरण की ई.आर.पी. योजना हेतु उ.प्र.राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को अंशपूंजी	1496.60
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-पारीछा तापीय परियोजना के फायर फाइटिंग सिस्टम के सुदृढीकरण हेतु अंशपूंजी	927.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के आर. एण्ड एम. एवं आपरेटिंग हेतु अंशपूंजी	1679.40
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	171547.45
		अनुदान संख्या 009 का योग	371547.45
010	2401-फसल कृषि कर्म	1-गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औधानिक विकास	1062.50
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	1062.50
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2-क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को सहायता	100.00
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 010 का योग	1162.50
011	2401-फसल कृषि कर्म	1-आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना	10000.00
	2401-फसल कृषि कर्म	2-कृषक उत्पादक संगठन एवं व्यावसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन की योजना	200.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	10200.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	3-कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ में नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु फर्नीचर, किताबें एवं पत्रिकाओं का क्रय	500.00
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	500.00
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	4-कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत स्थापित कॉलेजों / भवनों / संस्थाओं का सुदृढीकरण	500.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	500.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 011 का योग	11200.00
013	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1-महिला सामर्थ्य योजना	20000.00
		लेखा शीर्ष 2515 का योग	20000.00
		अनुदान संख्या 013 का योग	20000.00
014	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल / प्रादेशिक विकास दल के कल्याण कोष की पूंजी में वृद्धि	100.00
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	2-प्रांतीय रक्षक दल संगठन	600.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	700.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	700.00
015	2403-पशु पालन	1-बकरी पालन की योजना (राज्य योजना)	151.88
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	151.88
		अनुदान संख्या 015 का योग	151.88
018	2425-सहकारिता	1-प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढीकरण व मरम्मत	1000.00
		लेखा शीर्ष 2425 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 018 का योग	1000.00
021	2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1-मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ट (पी.एम.सी.)	14.40
		लेखा शीर्ष 2408 का योग	14.40
	3456-सिविल पूर्ति	2-उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन	500.00
		लेखा शीर्ष 3456 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 021 का योग	514.40
022	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	1-उ.प्र. खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना	855.00
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	855.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद-गोरखपुर के स्पोट्‌ र्स स्टेडियम में निर्मित सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का जीर्णोद्वार / फेसिंग का कार्य	64.99
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद-चित्रकूट में बहुद्‌ देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण	400.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद-देवरिया के स्पोट्‌र्स स्टेडियम में छात्रावास भवन का निर्माण / तरणताल एवं बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत, स्टोर, सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का निर्माण	100.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-जनपद-वाराणसी के डा. भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर में बालक / बालिकाओं हेतु 100-100 बैडेड छात्रावास भवन का निर्माण	500.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-जनपद-वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का निर्माण	96.20
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-जनपद-वाराणसी स्थित लालपुर क्रीड़ा संकुल के निर्माण कार्य	300.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8-बीर बहादुर सिंह स्पोट्‌र्स कॉलेज, गोरखपुर में अवस्थापना सुविधा	500.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	9-स्पोट्‌र्स विश्वविघालय, मेरठ की स्थापना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	3961.19
		अनुदान संख्या 022 का योग	4816.19
024	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	1-उ.प्र.राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / प्रदूषण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना / जीर्णोद्धार	2500.00
	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	2-उ.प्र.राज्य सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / प्रदूषण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना / जीर्णोद्धार	2500.00
	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	3-उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों की ऑफ सीज़न मरम्मत एवं रख-रखाव	2500.00
	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	4-चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में आसवनी तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना	2500.00
	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	5-चीनी मिल मुण्डेरवा, बस्ती में को-जनरेशन प्लाण्ट तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना	1037.00
	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	6-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज	2500.00
	6860-उपभोक्ता उघोगों के लिये कर्ज	7-सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान	50000.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	63537.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 024 का योग	63537.00
026	2055-पुलिस	1-विटनेस प्रोटेक्शन फण्ड	465.00
	2055-पुलिस	2-विशेष सुरक्षा बल	12000.00
		लेखा शीर्ष 2055 का योग	12465.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3-सेफ सिटी, आगरा	498.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4-सेफ सिटी, गोरखपुर	3245.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	5-सेफ सिटी, गौतमबुद्ध नगर	13200.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	6-सेफ सिटी, प्रयागराज	9000.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	7-सेफ सिटी, वाराणसी	5000.00
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	30943.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-राज्य सशस्त्र कान्सटेबुलरी (पी.ए.सी.) हेतु वाहनों का क्रय	2000.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	45408.00
029	2012-राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1-श्री राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि	50.00
		लेखा शीर्ष 2012 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 029 का योग	50.00
031	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-इन्स्टीट् यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्सियस डिजीजेज	200.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	200.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-इन्स्टीट् यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्सियस डिजीजेज	2300.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद-बलरामपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना	2500.01
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-जिला चिकित्सालय, अमेठी का मेडिकल कालेज में उच्चीकरण	15000.01
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण / जीर्णोद्धार / सुदृढ़ीकरण	2000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत	6-डाइबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर की स्थापना एवं	600.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	परिव्यय	सुदृढ़ीकरण	
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना	4800.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	2.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	2000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	29202.02
		अनुदान संख्या 031 का योग	29402.02
032	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये नैदानिक बुनियादी ढ़ाँचा हेतु 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	149748.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	149748.00
		अनुदान संख्या 032 का योग	149748.00
035	2211-परिवार कल्याण	1-कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना	5000.00
	2211-परिवार कल्याण	2-प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	12000.00
		लेखा शीर्ष 2211 का योग	17000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण	25554.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	25554.00
	4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	48000.00
		लेखा शीर्ष 4211 का योग	48000.00
		अनुदान संख्या 035 का योग	90554.00
036	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं तथा मण्डलीय कार्यालयों का संचालन	1000.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	200.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली का सुदृढीकरण	1184.72
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	2384.72
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय हेतु भवन निर्माण	4000.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	50.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-ब्लाक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना	7653.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	4173.61
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	15876.61
		अनुदान संख्या 036 का योग	18261.33
037	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	1-उ.प्र. जल निगम द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज	4000.00
		लेखा शीर्ष 2215 का योग	4000.00
	2217-शहरी विकास	2-जल जीवन मिशन (शहरी)	200000.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	200000.00
		अनुदान संख्या 037 का योग	204000.00
040	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-त्वरित आर्थिक विकास योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-त्वरित आर्थिक विकास योजना	1020.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1020.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	20.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	25000.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	25000.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-त्वरित आर्थिक विकास योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	1000.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	6-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	10.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	10.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-त्वरित आर्थिक विकास योजना	3000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	3000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-त्वरित आर्थिक विकास योजना	178940.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	178940.00
	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना	100000.00
		लेखा शीर्ष 5475 का योग	100000.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	310000.00
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-परित्यक्त महिलाओं हेतु सहायक अनुदान योजना	1004.81
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-मानसिक मन्दित महिला गृहों का संचालन	477.36
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	11482.17
		अनुदान संख्या 049 का योग	11482.17
052	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-भू-मानचित्रों का डिजिटाइज़ेशन	455.01
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	455.01
		अनुदान संख्या 052 का योग	455.01
055	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	107.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण	107.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	32.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-कार्यालय भवनों का निर्माण	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार	75.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-डी.पी.आर. का गठन	1450.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, शौचालय आदि की व्यवस्था	24.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	300.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	162.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	108.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में जनरेटर की स्थापना	40.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	2505.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	12-आवासीय भवनों का निर्माण	400.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13-जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण	215.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	80.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	695.00
		अनुदान संख्या 055 का योग	3200.00
056	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें	20000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	15000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	35000.00
		अनुदान संख्या 056 का योग	35000.00
057	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	23637.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण	31516.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	15758.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	70911.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	70911.00
058	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-इण्डो-नेपाल बार्डर पर कार्य	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	25000.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गो / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्वार / उच्चीकरण	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गो का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	8000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-क्षतिपूरक वनीकरण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो का निर्माण	25000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-ग्रामीण सम्पर्क मार्गो / लघु सेतुओं का निर्माण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोड़े जाने हेतु मार्गो का निर्माण	3000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-प्रदेश के मार्गो हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-प्रमुख व अन्य जिला मार्गो का उच्चीकरण	40000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गो का चौड़ीकरण	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15-मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16-राज्य राजमार्गो का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17-राज्य राजमार्गो का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	40000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	15000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20-सूचना प्रौधोगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन	1000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	246200.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	246200.00
061	2075-विविध सामान्य सेवायें	1-गारण्टी रिडम्पशन फण्ड का सृजन	60000.00
		लेखा शीर्ष 2075 का योग	60000.00
	7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	2-उ.प्र.आकस्मिकता निधि की सीमा में वृद्धि	60000.00
		लेखा शीर्ष 7999 का योग	60000.00
		अनुदान संख्या 061 का योग	120000.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
068	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-विधान सभा की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं आर्काइविंग हेतु डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना	250.09
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान सभा सचिवालय में ई-विधान व्यवस्था	1320.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	1570.09
		अनुदान संख्या 068 का योग	1570.09
070	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1-स्पेस बेस्ड सैटेलाइट एवं जी.आई.एस. तकनीक से जियोपोर्टलों का अघतनीकरण व संचालन	137.00
		लेखा शीर्ष 3425 का योग	137.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	137.00
072	2202-सामान्य शिक्षा	1-उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन	4.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विघालयों में अवस्थापना सुविधा	20000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3-सहायता प्राप्त संस्कृत विघालयों का सुदृढीकरण	3000.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	23004.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना	6.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना	1.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के विभिन्न निर्माण कार्य	500.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-सैनिक स्कूल, गोरखपुर की स्थापना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	5507.00
		अनुदान संख्या 072 का योग	28511.00
074	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-होमगाड् र्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में मृत्यु / अपंगता पर उनके नामिनी / उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि	2500.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	2500.00
		अनुदान संख्या 074 का योग	2500.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
076	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1-असंगठित कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना	1200.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2-असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना	10000.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	3-उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड	250.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	11450.00
		अनुदान संख्या 076 का योग	11450.00
078	2013-मंत्रि परिषद्	1-मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष	2000.00
		लेखा शीर्ष 2013 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 078 का योग	2000.00
079	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद-वाराणसी में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विघालय	400.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2-मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिये "ममता" विघालय की स्थापना	300.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	700.00
		अनुदान संख्या 079 का योग	700.00
080	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण	2000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 080 का योग	2000.00
082	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-लोक आयुक्त संगठन हेतु वाहन का क्रय	30.10
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	30.10
		अनुदान संख्या 082 का योग	30.10
083	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें	10000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	6000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	16000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	6363.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	15000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	15000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	8484.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	4242.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	49089.00
		अनुदान संख्या 083 का योग	65089.00
084	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-धर्मार्थ कार्य निदेशालय की स्थापना	200.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	200.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग	30000.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	30000.00
		अनुदान संख्या 084 का योग	30200.00
092	2205-कला एवं संस्कृति	1-चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव	1500.00
	2205-कला एवं संस्कृति	2-पद् म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में समारोह	65.00
		लेखा शीर्ष 2205 का योग	1565.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण	800.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं का निर्माण	400.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1200.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	2765.00
093	2702-लघु सिंचाई	1-भूगर्भ जल निधि से जल संचयन व संवर्द्धन के कार्य	5.00
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	5.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2-भूगर्भ जल निधि से जल संचयन व संवर्द्धन के कार्य	15.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	15.00
		अनुदान संख्या 093 का योग	20.00

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
094	2700-मुख्य सिंचाई	1-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	751.49
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	751.49
	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	28.91
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	28.91
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	148786.67
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	148786.67
	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	21686.28
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	21686.28
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5-लघु सिंचाई की परियोजायें	5500.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	5500.00
	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	69251.47
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	69251.47
		अनुदान संख्या 094 का योग	246004.82

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु ग्लोबल कन्सल्टेन्ट का चयन तथा डी.पी.आर. का गठन

अयोध्या को भव्य एवं विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किये जाने के लिये डी.पी.आर. तैयार करने हेतु ग्लोबल कन्सल्टेन्ट की सेवायें प्राप्त करने हेतु रुपये 5.00 करोड़ तथा डी.पी.आर. तैयार किये जाने हेतु रुपये 15.00 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2217 - शहरी विकास
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
03 - अयोध्या का सर्वांगीण विकास
0301 - डी.पी.आर. तैयार करने तथा कन्सल्टेन्ट का चयन

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500.00
42-अन्य व्यय	1500.00
योग -	2000.00

अयोध्या स्थित "सूर्य कुण्ड" का विकास

अयोध्या स्थित "सूर्य कुण्ड" में श्रद्धालुओं के लिये जन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिये सूर्य कुण्ड के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60 - अन्य शहरी विकास योजनायें
051 - निर्माण
03 - अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

अयोध्या का सर्वांगीण विकास

अयोध्या को भव्य एवं विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किये जाने के लिये डी.पी.आर. के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60 - अन्य शहरी विकास योजनायें
051 - निर्माण
04 - अयोध्या का सर्वांगीण विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास (नये कार्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य शहरी विकास योजनायें

800- अन्य व्यय

07- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्रधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की निष्प्रयोज्य कताई मिलों की भूमि का उपयोग

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की निष्प्रयोज्य कताई मिलों की भूमि का उपयोग औद्योगिक पार्क / औद्योगिक आस्थान / क्लस्टर पार्क के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
102- लघु उद्योग	
17- औद्योगिक आस्थान (एम.एस.एम.ई. क्लस्टर पार्क) योजना का क्रियान्वयन	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10000.00

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना

कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉक डाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों / कामगारों को रोजगार / स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
800- अन्य व्यय	
05- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10000.00

अनुदान संख्या 007

उघोग विभाग (भारी एवं मध्यम उघोग)

उ.प्र. स्टार्ट-अप नीति, 2020 का कार्यान्वयन

स्टार्ट-अप इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ.प्र.स्टार्ट-अप नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उघोग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उघोग
202- इलेक्ट्रानिक्स
14- उ.प्र. स्टार्ट-अप नीति-2020 का कार्यान्वयन
27-सब्सिडी 500.00

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिये थर्ड पार्टी ऑडिटर की सेवायें प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उघोग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उघोग
202- इलेक्ट्रानिक्स
31- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
3101- पोर्टल पर उपलब्ध शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी आडिट
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 100.00

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

विभिन्न शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन रूप से आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सेवाओं में विस्तार हेतु सर्विस इन्टीग्रेटर की सेवायें प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उघोग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उघोग
202- इलेक्ट्रानिक्स
31- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
3102- पोर्टल पर सेवाओं में विस्तार हेतु सर्विस इंटीग्रेटर का चयन
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 100.00

इन्वेस्ट - यू.पी. को अनुदान

प्रदेश के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से गठित उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी "इन्वेस्ट - यू.पी." को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 10.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग

80- सामान्य

102- औद्योगिक उत्पादकता

03- "इन्वेस्ट - यू. पी."

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1000.00

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)

यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 163.62 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 163.62 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

22- यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 16362.00

उ.प्र.डाटा सेन्टर नीति, 2020 का क्रियान्वयन

उ.प्र.डाटा सेन्टर नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

23- उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2020 का कार्यान्वयन

27-सब्सिडी 500.00

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु भूमि का क्रय

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की टोल प्राप्तियों के मौद्रीकरण के सापेक्ष "गंगा एक्सप्रेस-वे" परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) के लिये भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 5000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 5000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

12- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की टोल प्राप्तियों के मौद्रीकरण के सापेक्ष गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु भूमि क्रय

60-भूमि क्रय	500000.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान

आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रुपये 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 2000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 2000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता

03 - उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0

0301 - आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रु. 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200000.00

----

2 x 660 मेगावाट मेज़ा विद्युत परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन

2 x 660 मेगावाट मेज़ा विद्युत परियोजना में अंशपूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 102.20 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 102.20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1408 - 2X660 मेगावाट मेजा तापीय विद्युत परियोजना (मेसर्स एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उपक्रम में) हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण 10220.00

----

2 x 210 मेगावाट पारीछा विद्युत परियोजना में ई.एस.पी. रेट्रोफिटिंग एवं परामर्शी सेवा के लिये अंशपूंजी

2 x 210 मेगावाट पारीछा विद्युत परियोजना में ई.एस.पी. रेट्रोफिटिंग एवं उक्त हेतु परामर्शी सेवा के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 2224.45 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 2224.45 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1411 - 2X210 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना पर ESP Retrofitting का कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवा हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण 2224.45

हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के आर. एण्ड एम. एवं आपरेटिंग हेतु अंशपूंजी

हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के आर. एण्ड एम. एवं आपरेटिंग के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1679.40 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1679.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1412 - हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई सं0 7 के आर एण्ड एम एवं आपरेटिंग की योजना हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण 1679.40

अनपरा 'द' तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के रिवाईवल हेतु अंशपूंजी

अनपरा 'द' तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के रिवाईवल हेतु अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1413 - अनपरा 'द' तापीय परियोजना की इकाई सं0-7(500 मे0 वा0) की रिवाईवल कार्य योजना हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण 5000.00

कम्प्यूटरीकरण की ई.आर.पी. योजना हेतु उ.प्र.राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को अंशपूंजी

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की विभिन्न परियोजनाओं के सुनियोजित प्रबन्धन एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिये उ.प्र.राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1496.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1496.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1414 - कम्प्यूटरीकरण की ई.आर.पी. योजना हेतु अंशपूंजी विनियोजन

30-निवेश/ऋण 1496.60

पारीछा तापीय परियोजना के फायर फाइटिंग सिस्टम के सुदृढीकरण हेतु अंशपूंजी

पारीछा तापीय परियोजना के फायर फाइटिंग सिस्टम के सुदृढीकरण के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 927.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 927.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1415 - पारीछा तापीय परियोजना के फायर फाइटिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाने की योजना हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण 927.00

एस.जी.एस.टी. की डिस्कॉम्स को प्रतिपूर्ति

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना / सौभाग्य योजना हेतु अतिरिक्त इन्फ्रा के दिनाँक 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त के कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों द्वारा राजकोष में जमा नेट एस.जी.एस.टी. (इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाकर) की धनराशि की डिस्कॉम्स को प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

06 - ग्रामीण विद्युतीकरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

10 - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना / सौभाग्य योजना हेतु अतिरिक्त इन्फ्रा के दिनांक 01-07-2017 के उपरान्त के कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों द्वारा राजकोष में जमा नेट एस.जी.एस.टी. (इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाकर) की डिस्कॉम्स को प्रतिपूर्ति

30-निवेश/ऋण 150000.00

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास

गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1062.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1062.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2401-	फसल कृषि कर्म	
119-	बागवानी तथा वनस्पति की फसलें	
03-	नर्सरी	
0306-	गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1062.50

क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को सहायता

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2415-	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80-	सामान्य	
004-	अनुसंधान	
08-	क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र लखनऊ को सहायता	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना

आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

05- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना

42-अन्य व्यय 10000.00

कृषक उत्पादक संगठन एवं व्यावसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन की योजना

प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, संचालन एवं उनको आयपरक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

12- कृषक उत्पादक संगठन एवं व्यवसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन की योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ में नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु फर्नीचर, किताबें एवं पत्रिकाओं का क्रय

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ में नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु फर्नीचर, किताबें एवं पत्रिकाओं का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

80- सामान्य

120- अन्य संस्थाओं को सहायता

12- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 500.00

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत स्थापित कॉलेजों / भवनों / संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत स्थापित कॉलेजों / भवनों / संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

3106- कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अन्तर्गत स्थापित कालेजों/भवनों/संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

महिला सामर्थ्य योजना

उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु डेयरी वेल्यू चैन स्थापित किये जाने के लिये महिला सामर्थ्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
102- सामुदायिक विकास	
05- महिला सामर्थ्य योजना	
42-अन्य व्यय	20000.00

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल / प्रादेशिक विकास दल के कल्याण कोष की पूंजी में वृद्धि

उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल / प्रादेशिक विकास दल के कल्याण कोष की पूंजी में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

09- उ.प्र. प्रान्तीय रक्षक दल / प्रादेशिक विकास दल के कल्याण कोष की पूंजी में वृद्धि

42-अन्य व्यय 100.00

प्रांतीय रक्षक दल संगठन

प्रांतीय रक्षक दल में युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने के उपरान्त स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

10- प्रान्तीय रक्षक दल के प्रशिक्षण आदि से संबंधित व्यय

42-अन्य व्यय 600.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

बकरी पालन की योजना (राज्य योजना)

बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 151.88 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 151.88 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2403 - पशु पालन	
106 - अन्य पशुधन विकास	
04 - बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90 + ला. 10)	
39-औषधि तथा रसायन	5.62
42-अन्य व्यय	16.88
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	129.38
योग -	151.88

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढीकरण व मरम्मत

भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों के सुदृढीकरण एवं मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
03- भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढीकरण व मरम्मत	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ (पी.एम.सी.)

12 वीं पंचवर्षीय योजना (बढ़ी हुई समय-सीमा-2020) के अन्तर्गत मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ (पी.एम.सी.) हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 14.40 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 14.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	
01- खाद्य	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
05- मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ	
42-अन्य व्यय	14.40

उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से गठित उपभोक्ता कल्याण (कार्पस) कोष में धनराशि जमा किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3456- सिविल पूर्ति	
104- उपभोक्ता कल्याण निधि	
03- उपभोक्ता कल्याण कोष	
42-अन्य व्यय	500.00

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

उ.प्र. खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना

युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि जागृत करने के लिये उ.प्र. खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 855.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 855.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें
104 - खेलकूद
07 - उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना
42-अन्य व्यय 855.00

जनपद-वाराणसी स्थित लालपुर क्रीडा संकुल के निर्माण कार्य

जनपद-वाराणसी के लालपुर क्रीडा संकुल में निर्मित एस्ट्रोटर्फ मैदान के दोनों तरफ दर्शक दीर्घा शेड, चेन्जिंगरूम, टॉयलेट एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण तथा गेट को ऊँचा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
03 - खेलकूद तथा युवा सेवा
102 - खेलकूद स्टेडिया
03 - जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम
0301 - लालपुर क्रीडा संकुल में विभिन्न कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में अवस्थापना सुविधा

बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं रेनोवेशन के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
03 - खेलकूद तथा युवा सेवा
102 - खेलकूद स्टेडिया
04 - वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर
0401 - अवस्थापनाओं सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं रेनोवेशन कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

जनपद-चित्रकूट में बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण

खेलों के विकास के लिये जनपद-चित्रकूट में स्पोर्ट्स स्टेडियम में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

102- खेलकूद स्टेडिया

05- जनपद चित्रकूट में स्पोर्ट्स स्टेडियम

0501- बहुउददेशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 400.00

जनपद-वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का निर्माण

जनपद-वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 96.20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 96.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

102- खेलकूद स्टेडिया

06- जनपद वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट

24-वृहत् निर्माण कार्य 96.20

जनपद-गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का जीर्णोद्धार / फेसिंग का कार्य

जनपद-गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का जीर्णोद्धार / फेसिंग के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 64.99 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 64.99 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

102- खेलकूद स्टेडिया

07- जनपद गोरखपुर के स्पोर्टस स्टेडियम में निर्मित सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट का जीर्णोद्धार / फेसिंग

24-वृहत् निर्माण कार्य 64.99

जनपद-देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास भवन का निर्माण / तरणताल एवं बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत, स्टोर, सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट का निर्माण

जनपद-देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास भवन का निर्माण / तरणताल एवं बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत, स्टोर, सिन्थेटिक बास्केटवाल कोर्ट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

102- खेलकूद स्टेडिया

08- स्पोर्टस स्टेडियम देवरिया में विभिन्न कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

जनपद-वाराणसी के डा. भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर में बालक / बालिकाओं हेतु 100-100 बैडेड छात्रावास भवन का निर्माण

जनपद-वाराणसी के डा. भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर में बालक / बालिकाओं हेतु 100-100 बैडेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

102- खेलकूद स्टेडिया

09- डॉ. भीमराव अम्बेडकर, लालपुर क्रीड़ा संकुल में बालक / बालिकाओं हेतु 100-100 बेडेड छात्रावास भवन

24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना

जनपद-मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

04- स्पोटर्स विश्वविद्यालय, मेरठ

24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ को कर्ज़ दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

03- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज

30-निवेश/ऋण 50000.00

उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों की ऑफ सीज़न मरम्मत एवं रख-रखाव

पेराई सत्र 2021-2022 को समय से प्रारम्भ किये जाने के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के ऑफ सीज़न मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज

30-निवेश/ऋण 2500.00

उ.प्र.राज्य सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / प्रदूषण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना / जीर्णोद्वार

उ.प्र.राज्य सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / प्रदूषण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना / जीर्णोद्वार हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 25.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

21- सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्वार आदि कार्यों हेतु ऋण

30-निवेश/ऋण 2500.00

रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज

रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान के लिये कर्ज हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

22- रुग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज

30-निवेश/ऋण 2500.00

चीनी मिल मुण्डेरवा, बस्ती में को-जनरेशन प्लाण्ट तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

चीनी मिल मुण्डेरवा, बस्ती में को-जनरेशन प्लाण्ट तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 10.37 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 10.37 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

10- चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में कोजेनेरेशन प्लाण्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

30-निवेश/ऋण 1037.00

चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में आसवनी तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में को-जनरेशन प्लाण्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

11- चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में कोजेनेरेशन प्लाण्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

30-निवेश/ऋण 2500.00

उ.प्र.राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / प्रदूषण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना / जीर्णोद्धार

उ.प्र.राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / प्रदूषण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना / जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

12- निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण

30-निवेश/ऋण 2500.00

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

विशेष सुरक्षा बल

नव सृजित विशेष सुरक्षा बल के लिये अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 120.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 120.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2055- पुलिस

104- विशेष पुलिस

08- विशेष सुरक्षा बल

01-वेतन	9600.00
03-मंहगाई भत्ता	1100.00
04-यात्रा व्यय	200.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00
06-अन्य भत्ते	100.00
08-कार्यालय व्यय	100.00
09-विघुत देय	500.00
10-जलकर / जल प्रभार	50.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	20.00
42-अन्य व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00
49-चिकित्सा व्यय	20.00
55-मकान किराया भत्ता	200.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00
योग -	12000.00

विटनेस प्रोटेक्शन फण्ड

साक्षियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये विटनेस प्रोटेक्शन फण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 465.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 465.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2055- पुलिस
109- जिला पुलिस
19- विटनेस प्रोटेक्शन फण्ड
42-अन्य व्यय 465.00

सेफ सिटी, गौतमबुद्ध नगर

महिलाओं को भयमुक्त परिवेश एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये भारत सरकार की सेफ सिटी योजनान्तर्गत "सेफ सिटी, गौतमबुद्ध नगर" हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 132.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 132.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0112- सेफ सिटी, गौतमबुद्धनगर (के.60/रा.40-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 13200.00

सेफ सिटी, आगरा

महिलाओं को भयमुक्त परिवेश एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये भारत सरकार की सेफ सिटी योजनान्तर्गत "सेफ सिटी, आगरा" हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 498.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 498.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0113- सेफ सिटी, आगरा (के.60/रा.40-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 498.00

सेफ सिटी, गोरखपुर

महिलाओं को भयमुक्त परिवेश एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये भारत सरकार की सेफ सिटी योजनान्तर्गत "सेफ सिटी, गोरखपुर" हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 32.45 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 32.45 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207- राज्य पुलिस

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0114- सेफ सिटी, गोरखपुर (के.60/रा.40-के.+रा.)

42-अन्य व्यय 3245.00

सेफ सिटी, प्रयागराज

महिलाओं को भयमुक्त परिवेश एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये भारत सरकार की सेफ सिटी योजनान्तर्गत "सेफ सिटी, प्रयागराज" हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 90.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207- राज्य पुलिस

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0115- सेफ सिटी, प्रयागराज (के.60/रा.40-के.+रा.)

42-अन्य व्यय 9000.00

सेफ सिटी, वाराणसी

महिलाओं को भयमुक्त परिवेश एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिये भारत सरकार की सेफ सिटी योजनान्तर्गत "सेफ सिटी, वाराणसी" हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207- राज्य पुलिस

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0116- सेफ सिटी, वाराणसी (के.60/रा.40-के.+रा.)

42-अन्य व्यय 5000.00

राज्य सशस्त्र कान्सटेबुलरी (पी.ए.सी.) हेतु वाहनों का क्रय

राज्य सशस्त्र कान्सटेबुलरी (पी.ए.सी.) के अन्तर्गत उ.प्र.पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के लिये एक 32 सीटर बस तथा कम्पनियों के उपयोगार्थ वाहनों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
08- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलटी - मुख्य	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	2000.00

क्रम संख्या **029**

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

श्री राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि

श्री राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2012-	राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
03-	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
102-	विवेकाधीन अनुदान		
03-	राज्यपाल का विवेकाधीन अनुदान-भारित-		
	42-अन्य व्यय	मतदेय	0.00
		भारित	50.0

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्सियस डिजीजेज

के.जी.एम.यू., लखनऊ में वायरोलॉजी एवं इन्फेक्सियस डिजीजेज के मरीजों के उच्च स्तरीय इलाज के लिये एक अति आधुनिक प्रयोगशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2210 -	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05 -	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105 -	एलोपैथी	
05 -	अनुसंधान	
0502 -	इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शियस डिजीजेज	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

जिला चिकित्सालय, अमेठी का मेडिकल कालेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, अमेठी को मेडिकल कालेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 15000.01 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 15000.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210 -	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03 -	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105 -	एलोपैथी	
01 -	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0122 -	मेडिकल कालेज, अमेठी (के.60/रा.40-के.+रा.)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
	योग -	15000.01

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अन्तर्गत एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ में लेवल-3 की बायो सेफ्टी लैब, लखनऊ में बायरोलॉजी रिसर्च हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान तथा प्रदेश के 45 जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थाओं / चिकित्सा विश्वविघालयों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लाक की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 2.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0123- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 2.00

इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्सियस डिजीजेज

के.जी.एम.यू., लखनऊ में वायरोलॉजी एवं इन्फेक्सियस डिजीजेज के मरीजों के उच्च स्तरीय इलाज के लिये एक अति आधुनिक प्रयोगशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 23.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 23.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
09- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविघालय
0901- इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शियस डिजीजेज
24-वृहत् निर्माण कार्य 2300.00

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना

प्रदेश के 16 असेवित जनपदों यथा - बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में निवासित जनता को सर्वसुलभ चिकित्सा उपचार की सुविधायें निर्बाध रूप से उपलब्ध कराये जाने के विभिन्न पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर उक्त जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 48.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 48.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
25- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 4800.00

जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण / जीर्णोद्धार / सुदृढ़ीकरण

जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण / जीर्णोद्वार / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोंपैथी	
26-	जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण / जीर्णोद्वार/सुदृढीकरण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के मेडिकल कालेजों में सूचना प्रौघोगिकी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोंपैथी	
27-	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

जनपद-बलरामपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना

जनपद-बलरामपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 2500.01 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 2500.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोंपैथी	
87-	जनपद बलरामपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
	योग -	2500.01

डाइबिटिक रेटिनोंपैथी सेन्टर की स्थापना एवं सुदृढीकरण

के.जी.एम.यू.-लखनऊ, मेडिकल कालेज-प्रयागराज एवं मेडिकल कालेज-मेरठ में डाइबिटिक रेटिनोंपैथी सेन्टर की स्थापना एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
88- डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर	
8801- के.जी.एम.यू., लखनऊ	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200.00
8802- मेडिकल कालेज, मेरठ	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200.00
8803- मेडिकल कालेज, प्रयागराज	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200.00
योग -	600.00

अनुदान संख्या **032**

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये नैदानिक बुनियादी ढ़ाँचा हेतु 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये नैदानिक बुनियादी ढ़ाँचा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1497.48 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1497.48 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- 15 वां वित्त आयोग	
0301- 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	149748.00

अनुदान संख्या 035

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

"प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत" योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट, जनपदों में इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेन्टर फॉर डिजिज़ेज कन्ट्रोल (एन.सी.डी.सी.) का सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इनफार्मेशन के विस्तार के लिये पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के सम्बन्ध में होने वाले राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 120.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 120.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2211 - परिवार कल्याण

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (के.60 / रा.40- के.+रा.)

42-अन्य व्यय 12000.00

कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना

प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिये टीकाकरण की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2211 - परिवार कल्याण

800 - अन्य व्यय

04 - कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण

42-अन्य व्यय 5000.00

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण

15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 255.54 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 255.54 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - 15 वां वित्त आयोग

0301 - 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 25554.00

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

"प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत" योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट, जनपदों में इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेन्टर फॉर डिजिज़ेज कन्ट्रोल (एन.सी.डी.सी.) का सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इनफार्मेशन के विस्तार के लिये पोर्टल की

स्थापना तथा इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के सम्बन्ध में होने वाले पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 480.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 480.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4211- परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (के.60 / रा.40- के.+रा.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 48000.00

अनुदान संख्या 036

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं तथा मण्डलीय कार्यालयों का संचालन

प्रदेश में 12 मण्डल मुख्यालय क्रमशः सहारनपुर, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, बस्ती, गोण्डा, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय हेतु भवन निर्माण एवं स्टॉफ सहित प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें
001 - निदेशन तथा प्रशासन
04 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना

01-वेतन	650.00
03-मंहगाई भत्ता	194.00
39-औषधि तथा रसायन	16.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.00
55-मकान किराया भत्ता	130.00
योग -	1000.00

राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत लखनऊ स्थित राजकीय प्रयोगशाला परिसर में नवीन औषधि नियंत्रण कार्यालय एवं औषधि प्रयोगशाला की स्थापना व संचालन तथा जनपद-सहारनपुर एवं कानपुर में नवीन औषधि प्रयोगशाला की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 1184.72 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 1184.72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें
104 - औषधि नियंत्रण
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0101 - राज्य औघधि नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)

08-कार्यालय व्यय	25.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	11.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	823.00
39-औषधि तथा रसायन	44.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	246.72
योग -	1184.72

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)

प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हेल्थ आई.डी. बनाने तथा उनका सम्पूर्ण हेल्थ डाटा एकत्र कर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड (ई.एच.आर.) के रूप में संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से "एन.डी.एच.एम." योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें
800 - अन्य व्यय
03 - नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)

42-अन्य व्यय	200.00

राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली का सुदृढीकरण

राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत लखनऊ स्थित राजकीय प्रयोगशाला परिसर में नवीन औषधि नियंत्रण कार्यालय एवं औषधि प्रयोगशाला की स्थापना तथा जनपद-सहारनपुर एवं कानपुर में नवीन औषधि प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 4173.61 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 4173.61 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
04 - लोक स्वास्थ्य	
107 - लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - राज्य औघधि नियंत्रण प्रणाली का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2462.74
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1710.87
योग -	4173.61

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)

भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में "नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)" को प्रारम्भ किया जाना है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हेल्थ आई.डी. बनाने का लक्ष्य है, जिसमें व्यक्ति की सहमति के पश्चात् ही चिकित्सालयों में डाक्टर द्वारा उस व्यक्ति का सम्पूर्ण हेल्थ डाटा एकत्र कर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड (ई.एच.आर.) के रूप में संरक्षित किया जायेगा । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
04 - लोक स्वास्थ्य	
200 - अन्य कार्यक्रम	
03 - नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय हेतु भवन निर्माण

प्रदेश में 12 मण्डल मुख्यालय क्रमशः सहारनपुर, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, बस्ती, गोण्डा, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

04 - लोक स्वास्थ्य

800 - अन्य व्यय

05 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय तथा प्रयोगशालाओं का भवन निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य	3600.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	400.00
योग -	4000.00

ब्लाक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना

15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 76.53 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 76.53 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - 15 वां वित्त आयोग

0301 - 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	7653.00

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

उ.प्र. जल निगम द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज

उ.प्र. जल निगम द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋण की अवशेष धनराशि का प्रतिदान एवं देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	
01 - जलपूर्ति	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	
03 - उ.प्र. जल निगम द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋण के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4000.00

जल जीवन मिशन (शहरी)

"जल जीवन मिशन (शहरी)" योजनान्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 2000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 2000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2217 - शहरी विकास	
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये	
191 - नगर निगमों को सहायता	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0104 - जल जीवन मिशन (शहरी) (के.50 / रा.50- के.+रा.)	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	60000.00
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0104 - जल जीवन मिशन (शहरी) (के.50 / रा.50- के.+रा.)	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	60000.00
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0104 - जल जीवन मिशन (शहरी) (के.50 / रा.50- के.+रा.)	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	80000.00
कुल योग -	200000.00

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, मलजल, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, वनीकरण, अधिवक्ता चैम्बर निर्माण आदि कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 2100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 2100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01- जलपूर्ति

101- शहरी जल पूर्ति

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

102- ग्रामीण जल पूर्ति

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

02- मल-जल तथा सफाई

101- शहरी सफाई सेवाएं

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

106- मल-जल सेवाएं

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

203- रोजगार

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01- वानिकी

102- समाज तथा फार्म वानिकी

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- वनीकरण कार्यक्रम

24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विघुत वितरण/विघुत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
06- ग्रामीण विघुतीकरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विघुतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0302- नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	25000.00
337- सडक निर्माण कार्य	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सडकों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	123940.00
0302- शहरी क्षेत्रों में सडकों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00
योग -	153940.00
कुल योग -	210000.00

मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना

प्रदेश में आत्मनिर्भता की संकल्पना को मूर्त रूप दिये जाने के लिये विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिये मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

05- मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना

42-अन्य व्यय 100000.00

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना

किशोरियों तथा बच्चों में रोग-प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने तथा उन्हें स्वस्थ एवं सशक्त बनाने हेतु अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराये जाने के लिये "मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0132- मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना (के.50 / रा.50- के.+रा.)
42-अन्य व्यय 10000.00

परित्यक्त महिलाओं हेतु सहायक अनुदान योजना

पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को माननीय न्यायालय से गुजारा भत्ता सम्बन्धी आदेश प्राप्त होने तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1004.81 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1004.81 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
04- परित्यक्त महिलाओं हेतु सहायक अनुदान योजना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1004.81

मानसिक मन्दित महिला गृहों का संचालन

जनपद-लखनऊ में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मानसिक मन्दित महिलाओं के लिये महिला गृहों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 477.36 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 477.36 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
23- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मानसिक मंदित महिलाओं हेतु महिला गृहों का संचालन
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 477.36

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

भू-मानचित्रों का डिजिटाइज़ेशन

भू-मानचित्रों के डिजिटाइज़ेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 455.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 455.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
04- प्रदेश के भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यांश	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	455.01

अनुदान संख्या 055

लोक निर्माण विभाग (भवन)

कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

06- निर्माण - लोक निर्माण

0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार

24-वृहत् निर्माण कार्य 75.00

कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

06- निर्माण - लोक निर्माण

0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन / सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 107.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 107.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 107.00

डी.पी.आर. का गठन

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन से सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये जाने के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 14.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 14.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

05- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 1450.00

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में जनरेटर की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में जनरेटर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 40.00

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 162.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 162.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	162.00

अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना एवं वर्तमान ट्रांजिट हॉस्टलों का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 107.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 107.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	107.00

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 108.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 108.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	108.00

आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 32.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 32.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 32.00

दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, शौचालय आदि की व्यवस्था

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 24.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 24.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य 24.00

जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल्ड आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 215.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 215.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

106- साधारण पूल आवास

03- निर्माण - लोक निर्माण

0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 215.00

आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0538- राजभवन, लखनऊ

25-लघु निर्माण कार्य	मतदेय	0.00
	भारित	80.0

अनुदान संख्या 056

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
60-	अन्य	
800-	अन्य व्यय	
03-	पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
60-	अन्य	
800-	अन्य व्यय	
04-	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 236.37 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 236.37 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)

0403 - ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 23637.00

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 315.16 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 315.16 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

05 - रेलवे उपरिगामी सेतु

0517 - रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 31516.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 157.58 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 157.58 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

36 - प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य 15758.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण

महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

03 - राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य

0306 - राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 40000.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एकमुश्त व्यवस्था

1328 - प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 40000.00

तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण

प्रदेश के समस्त तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने के लिये मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एकमुश्त व्यवस्था

1347 - प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोड़े जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण

प्रदेश के महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
13- एकमुश्त व्यवस्था
1351- महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों के चौडीकरण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
85- शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फलाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
800- अन्य व्यय
03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
0301- राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

इण्डो-नेपाल बार्डर पर कार्य

इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

07 - इन्डो नेपाल बार्डर पर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

प्रदेश के मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1330 - प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था

60-भूमि क्रय 10000.00

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1332 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1334 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

क्षतिपूरक वनीकरण

मार्ग निर्माण अथवा चौडीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1335 - क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

18 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 25000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गो के चौडीकरण / सुदृढ़ीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौडीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 200.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

86- नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

समस्त अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 250.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

99- पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 25000.00

केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गो का चौडीकरण / सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के मार्गों पर बढ़ते हुये भारी यातायात के दृष्टिगत केन्द्रीय सडक निधि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग / प्रमुख जिला / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण /

सुदृढ़ीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

800 - अन्य व्यय

04 - केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य

0470 - मार्गों के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 8000.00

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

05 - अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

97 - वाह्य सहायतित परियोजनायें

9702 - विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 14 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 14 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

004 - अनुसंधान

04 - अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 100.00

मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

मूल्यह्रास आरक्षित निधि से लोक निर्माण विभाग में मशीनरी तथा उपस्कर का क्रय किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 2000.00

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 1000.00

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

गारण्टी रिडम्पशन फण्ड का सृजन

12 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार गारण्टी रिडम्पशन फण्ड के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2075- विविध सामान्य सेवायें

797- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण

03- गारण्टी रिडम्प्शन फण्ड

48-अन्तर्लेखा संक्रमण 60000.00

उ.प्र.आकस्मिकता निधि की सीमा में वृद्धि

उ.प्र. आकस्मिकता निधि की सीमा रुपये 600.00 करोड़ से बढ़ाकर रुपये 1200.00 करोड़ किये जाने के लिये राज्य की सचित निधि से रुपये 600.00 करोड़ की धनराशि निकाल कर उसे उ.प्र.आकस्मिकता निधि में जमा किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

7999- आकस्मिकता निधि को विनियोजन

201- आकस्मिकता निधि को विनियोजन

03- आकस्मिकता निधि में विनियोजन

48-अन्तर्लेखा संक्रमण 60000.00

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

विधान सभा सचिवालय में ई-विधान व्यवस्था

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य प्रक्रिया को डिजिटाइज एवं पेपरलेस किये जाने के उद्देश्य से विधान सभा सचिवालय में ई-विधान व्यवस्था लागू किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1320.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1320.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101 - विधान सभा सचिवालय में ई-विधान व्यवस्था (के.60/रा.40-रा.)	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1320.00

विधान सभा की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं आर्काइविंग हेतु डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना

विधान सभा की कार्यवाही की रिकार्डिंग को लम्बे समय तक स्थायी रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु रिकार्डिंग एवं आर्काइविंग हेतु डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 250.09 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 250.09 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
06 - सदन की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं आर्काइविंग हेतु डिजिटल लाइब्रेरी	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	250.09

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स्पेस बेस्ड सैटेलाइट एवं जी.आई.एस. तकनीक से जियोपोर्टलों का अद्यतनीकरण व संचालन

रिमोट सेसिंग एजेन्सी, उ.प्र. के माध्यम से स्पेस बेस्ड सैटेलाइट डाटा एवं जी.आई.एस. तकनीक से विभिन्न विभागों हेतु विकसित किये जा रहे जियोपोर्टलों के अद्यतनीकरण (अपडेशन) व संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 137.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 137.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3425-	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	
60-	अन्य	
200-	अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता	
05-	रिमोट सैन्सिंग एजेन्सी को अनुदान	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	137.00

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा

सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	
04- सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	20000.00

उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन

उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 4.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 4.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
05- भाषा विकास	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
04- उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय	
01-वेतन	1.00
03-मंहगाई भत्ता	1.00
06-अन्य भत्ते	1.00
42-अन्य व्यय	1.00
योग -	4.00

सहायता प्राप्त संस्कृत विघालयों का सुदृढ़ीकरण

सहायता प्राप्त संस्कृत विघालयों के विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202-	सामान्य शिक्षा	
05-	भाषा विकास	
103-	संस्कृत शिक्षा	
04-	संस्कृत पाठशालाओ को सहायक अनुदान	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
	35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2800.00
	योग -	3000.00

राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के विभिन्न निर्माण कार्य

प्रदेश में राजकीय संस्कृत पाठशालाओं में छात्रावास, कक्षा-कक्ष के निर्माण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	सामान्य शिक्षा	
202-	माध्यमिक शिक्षा	
14-	राजकीय संस्कृत पाठशाला	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

सैनिक स्कूल, गोरखपुर की स्थापना

छात्रों को शैक्षणिक, शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से रक्षा सेवाओं के लिये तैयार करने के लिये गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जनपद-गोरखपुर में नये सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	सामान्य शिक्षा	
202-	माध्यमिक शिक्षा	
27-	सैनिक स्कूलों की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

30- उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय

24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 6.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

31- उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद

24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
25-लघु निर्माण कार्य	1.00
योग -	6.00

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्डस)

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में मृत्यु / अपंगता पर उनके नामिनी / उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में मृत्यु / अपंगता पर उनके नामिनी / उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200- अन्य कार्यक्रम

04- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में मृत्यु / अपंगता पर उनके नामिनी/ उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि

42-अन्य व्यय 2500.00

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिये गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
01- श्रम
111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा
05- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन

01-वेतन	79.50
02-मजदूरी	0.60
03-मंहगाई भत्ता	19.00
04-यात्रा व्यय	1.10
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.55
08-कार्यालय व्यय	5.50
09-विद्युत देय	0.55
10-जलकर / जल प्रभार	0.28
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.80
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.50
18-प्रकाशन	0.55
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.80
29-अनुरक्षण	0.55
42-अन्य व्यय	1.80
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	9.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.80
49-चिकित्सा व्यय	0.60
55-मकान किराया भत्ता	9.52
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	96.00
योग -	250.00

असंगठित कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना

असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01- श्रम

111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा

08- असंगठित कर्मकारों हेतु "मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना"

42-अन्य व्यय 1200.00

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रदेश में पंजीकृत होने वाले असंगठित कर्मकारों, जो आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित नहीं है, को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01- श्रम

111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा

09- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु "मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना"

42-अन्य व्यय 10000.00

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष

गम्भीर रूप से पीड़ित तथा आपदा से ग्रसित लोगों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की सीमा में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2013- मंत्रि परिषद्	
105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
03- मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
42-अन्य व्यय	2000.00

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

जनपद-वाराणसी में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विघालय

जनपद-वाराणसी में कक्षा - 6 से 12 तक के, विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित छात्र-छात्राओं एवं सामान्य छात्र-छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था के लिये समेकित विशेष माध्यमिक विघालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

05- समेकित विशेष माध्यमिक विघालयों की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य 400.00

मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिये "ममता" विघालय की स्थापना

जनपद-चन्दौली में मानसिक मंदित दिव्यांग बच्चों के लिये नवीन "ममता" विघालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

15- मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिये "ममता" विघालय

24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

अनुदान संख्या 080

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण

"अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
200- अन्य कार्यक्रम	
13- "अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण	
07-मानदेय	1000.00
42-अन्य व्यय	800.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00
योग -	2000.00

अनुदान संख्या 082

सतर्कता विभाग

लोक आयुक्त संगठन हेतु वाहन का क्रय

लोक आयुक्त संगठन के अन्तर्गत उपलोकायुक्त के उपयोगार्थ दो नये वाहनों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 30.10 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 30.10 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
800- अन्य व्यय		
05- लोक आयुक्त संगठन		
14-मोटर गाडियों का क्रय	मतदेय	0.00
	भारित	30.1

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

02- पिछड़े क्षेत्र

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

02- पिछड़े क्षेत्र

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें

24-वृहत् निर्माण कार्य 6000.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौडीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06- राज्य राजमार्गों के चौडीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 84.84 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 84.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सडकें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

19- रेलवें उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 8484.00

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 63.63 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 63.63 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सडकें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 6363.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 42.42 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 42.42 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

21- नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 4242.00

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

धर्मार्थ कार्य निदेशालय की स्थापना

धर्मार्थ कार्य निदेशालय की स्थापना के लिये विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- धर्मार्थ कार्य निदेशालय	
01-वेतन	100.00
03-मंहगाई भत्ता	30.00
08-कार्यालय व्यय	25.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25.00
42-अन्य व्यय	20.00
योग -	200.00

श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग

श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्गो के संरेखण एवं चौड़ीकरण / सौन्दर्यीकरण एवं पुनर्वास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 300.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
04- श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में समारोह

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में समारोह के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 65.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 65.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
18- पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में समारोह	
42-अन्य व्यय	65.00

चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सन्दर्भ में घटित चौरी-चौरा की ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाये जाने एवं समाज के सभी लोगों, विशेषकर इससे युवा पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से "चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
19- चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव	
42-अन्य व्यय	1500.00

शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं का निर्माण

शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
106- संग्रहालय	
13- शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00

लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण

लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04- कला तथा संस्कृति

800- अन्य व्यय

07- लखनऊ में उ.प्र. जनजातीय संग्रहालय का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 800.00

अनुदान संख्या 093

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

भूगर्भ जल निधि से जल संचयन व संवर्द्धन के कार्य

भूगर्भ जल निधि से प्रदेश के समग्र भूजल प्रबन्धन के लिये भूजल संचयन व संवर्द्धन के कार्यों में किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 5.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई

02- भू-जल

005- अन्वेषण

08- भूगर्भ जल निधि से जल संचयन व संवर्धन के कार्य

42-अन्य व्यय 5.00

भूगर्भ जल निधि से जल संचयन व संवर्द्धन के कार्य

भूगर्भ जल निधि से प्रदेश के समग्र भूजल प्रबन्धन के लिये भूजल संचयन व संवर्द्धन के कार्यों में किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

102- भू जल

12- भूगर्भ जल निधि से जल संचयन व संवर्धन के कार्य

25-लघु निर्माण कार्य 15.00

अनुदान संख्या 094

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 751.49 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 751.49 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई	
20- चौ0 चरण सिंह लहचूरा (बैराज) / नहर प्रणाली	
101- रख रखाव एवं मरम्मत	
03- अन्य रख-रखाव व्यय	
0301- अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	198.48
0302- विशेष मरम्मत	
29-अनुरक्षण	106.87
योग -	305.35
21- अर्जुन सहायक नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
101- रख रखाव एवं मरम्मत	
03- अन्य रख-रखाव व्यय	
0301- अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	446.14
कुल योग -	751.49

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 28.91 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 28.91 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	
81- जमरार बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
101- रख-रखाव एवं मरम्मत	
03- अन्य रख रखाव व्यय	
0301- अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	28.91

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 148786.67 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 148786.67 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरे		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		4260.40
05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1006- पुनर्स्थापना		
24-वृहत् निर्माण कार्य		123.10
1008- लाइनिंग		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1201.48
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		11357.98
	योग -	12682.56
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		7567.32
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		5022.70
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		3054.25
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		15000.00

10-	केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	सम्बद्ध कार्य	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	10197.65
14-	राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	35000.00
17-	सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरे	
1014-	सम्बत्द्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1362.89
18-	बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
19-	पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2018.72
22-	मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरे	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1125.81
32-	बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
97-	बाह्य सहायतित योजनायें	
9703-	डैम रिहैबिलीटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (ड्रिप) (70 विश्व बैंक : 30 राज्य)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	12000.00
36-	गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	8494.37
97-	राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)	

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00
कुल योग -	148786.67

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 21686.28 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 21686.28 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
05- घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	161.73
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरे	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
13- बानगंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
17- गुरूसराय नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	747.26
19- धसान नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	89.00
21- कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1008- लाइनिंग	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	637.02

28-	नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2400.00
33-	देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1006-	पुनर्स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	490.00
59-	मौदहा बांध / नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	345.00
60-	पहुंज बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
05-	बांध	
0514-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	194.67
87-	सूचना तकनीक के विकास की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	229.14
93-	विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
05-	बांध	
0514-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
07-	बैराज	
0714-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1702.46
16-	विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	490.00
	योग -	2992.46
97-	नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु मुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	

24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
कुल योग -	21686.28

लघु सिंचाई की परियोजायें

लघु सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 55.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 55.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
101 - सतही जल	
04 - प्रस्यावतन योजनायें	
0422 - जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत बन्धियों के निर्माण की परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
102 - भू जल	
03 - नलकूप योजनायें	
0322 - 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4900.00
कुल योग -	5500.00

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रुपये 69251.47 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में रुपये 69251.47 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 - बाढ़ नियंत्रण

052 - मशीनरी तथा उपस्कर

03 - नवीन सम्पूर्ति

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	294.00

04 - मरम्मत

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	294.00

05 - गाड़ी भाड़ा

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	147.00
योग -	735.00

103 - सिविल निर्माण कार्य

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.+रा.)

24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

0103 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए0 आई0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)

24-वृहत् निर्माण कार्य	2598.32

03 - सीमान्त बांध (राज्य सेक्टर) एकमुश्त व्यवस्था

0303 - निर्माण की परियोजनाएं

24-वृहत् निर्माण कार्य	317.88

06 - नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें

0605 - पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)

24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

07 - अनपेक्षित आपातकालीन कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	3920.00

08 - तट बंधों का निर्माण

0840 - तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं

24-वृहत् निर्माण कार्य	17990.00
60-भूमि क्रय	500.00
योग -	18490.00

09 - कटाव निरोधक योजनायें

0984 - नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य	26470.00
60-भूमि क्रय	500.00

योग -	26970.00
0985 - नदियों के व्यवहार एवं सिल्ट के संबंध में शोध की परियोजनाऐं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
0986 - परियोजनाओं के वास्तविक समय आधारित प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाऐं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
0987 - नदी एवं जल संबंधित आंकड़ों का वास्तविक संकलन, प्रेषण एवं आंकलन की परियोजनाऐं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
23 - नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9088.22
25 - सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	
24-वृहत् निर्माण कार्य	735.00
योग -	65719.42
03 - जल निकास	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
03 - जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)	
0305 - पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1490.00
07 - जल निकास योजना (नावार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1307.05
योग -	2797.05
कुल योग -	69251.47